[2018] 3 एस. सी. आर. 479

असीम रंजन दास (डी) एलआरएस द्वारा।

वी.

शिबू बोधक और ओआरएस।

(2009 की सिविल अपील सं. 3932)

अप्रैल 05,2018

[जे. चेलामेश्वर

और संजय किशन कौल, जे. जे.]

पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953: एसएस। 44 (2 क), 2 (क), 4,5 और 6 राज्य में मध्यस्थ के अधिकारों का निहितकरण-आयोजितः

अधिनियम में राज्य सरकार के साथ प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थ की भूमि निहित करने का प्रावधान है, लेकिन एक मध्यस्थ का अधिकार है -

खंडों में उल्लिखित अपवादों के तहत आने वाली भूमि को सौंपने की तारीख से किसी भी भूमि का कब्जा बनाए रखें-तथ्यों के आधार पर, के. पी. एस. पूर्व मध्यस्थ के तहत भूमि का धारक था और उस पर कब्जा था-उक्त भूमि को जे. पी. और जी. बी. को हस्तांतरित किया गया था-इसके बाद, राजस्व अधिकारी यू/एस. द्वारा शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही। 44 (2 क) और उसने किरायेदारी रद्द कर दी।

जे. पी. और जी. बी. के अधिकार-जी. बी. द्वारा लिखित याचिका-उच्च न्यायालय ने राजस्व अधिकारी की कार्यवाही को दरकिनार कर दिया-इसके बाद जे. पी. की मृत्यु हो गई, जिनकी विधवा ने एक आर. को जमीन बेच दी थी, जिनसे अपीलकर्ता ने जमीन खरीदी थी।

उसी वर्ष 1987 में-मध्यावधि अवधि में, भूमि प्रत्यर्थी नं. 1 और 2 1980 में अपीलार्थी को भूमि की बिक्री से पहले-राज्य सरकार ने जे. पी. की भूमि के लिए इस आधार पर कदम उठाए कि भूमि राज्य सरकार में निहित है और प्रत्यर्थी सं. 1 और 2-भूमि के पट्टा धारक-1990 में जे. पी. के उत्तराधिकारियों द्वारा इस आधार पर दायर रिट याचिका कि भूमि को राज्य सरकार में निहित नहीं माना जा सकता है।

यू/एस अधिकारियों द्वारा किया गया। 44 (2 क) अलग रखें-इसके बाद,

1998 में अपीलार्थी द्वारा आर से खरीदी गई भूमि के संबंध में अभिलेखों में अपना नाम बदलने के लिए रिट याचिका-न्यायाधिकरण को याचिका का हस्तांतरण-न्यायाधिकरण द्वारा खंड भूमि और भूमि सुधार अधिकारी को केपीएस के नाम पर सभी भूमि को बहाल करने का निर्देश जारी करना।

इसके बाद खंड भूमि और भूमि सुधार अधिकारी ने

उप-मंडल अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए रद्द करने का प्रस्ताव-एस. डी. ओ. द्वारा पट्टा धारकों को नोटिस जारी करना-प्रत्यर्थी सं. 1 और 2-पट्टा धारकों द्वारा अपील

उत्तरदाता नं। 1 और 2 ने यह अभिनिर्धारित करने की अनुमति दी कि उत्तरदाता पट्टा थे

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भूमि के संबंध में धारकों और उन्हें दिए गए पट्टों को रद्द करने का निर्देश देने से पहले न्यायाधिकरण द्वारा नहीं सुना गया था-अपीलीय न्यायाधिकरण को प्रेषित मामला-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः वर्तमान कार्यवाहियों के माध्यम से अपीलार्थी का प्रयास एक निष्फल अभ्यास साबित हुआ है क्योंकि अब तक रिमांड पर लिए जाने के मामले का निर्णय पहले दो उत्तरदाताओं को अवसर देने के बाद किया जा सकता था-अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर की, जिसे प्रतिवादी को पक्षकारों के रूप में स्थानांतरित किए बिना न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें भूमि सही या गलत तरीके से निहित थी-ऐसी स्थिति में पहले दो उत्तरदाताओं को, कम से कम, सुनवाई का अधिकार है और इसे उच्च न्यायालय के साथ तौला जाता है, जबकि न्यायाधिकरण के निर्देशों और उसके बाद की कार्यवाही-पश्चिम बंगाल भूमि सुधार और किरायेदारी अधिनियम, 1997 को शून्य कर दिया जाता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः 1. वर्तमान कार्यवाहियों के माध्यम से अपीलार्थी का प्रयास एक निष्फल अभ्यास साबित हुआ है

राजस्व अधिकारी की कार्यवाही को 1.6.1973 पर अलग कर दिया गया था, ऐसा प्रतीत होता है कि जे. पी. की भूमि पर कार्रवाई की गई थी और इस तरह प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 ने जुलाई, 1980 में राज्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पट्टे पंजीकृत किए हैं और अपने कब्जे में होने का दावा करते हैं। अपीलार्थी ने वही भूमि 1987 में खरीदी और संभवतः जेपी के उत्तराधिकारियों के कहने पर, वर्ष 1990 में रिट याचिका दायर करने के लिए उठा। अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों को उन कार्यवाहियों में एक पक्ष बनाया गया था। 1.6.1973 दिनांकित आदेश के तर्क पर आधारित, इस याचिका के बाद 17.7.1997 दिनांकित आदेश आया। इसके बाद अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर की, जिसे बिना किसी प्रलोभन के न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया।

प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 पक्षकारों के रूप में जिनमें भूमि निहित थी, सही या गलत तरीके से। ऐसी स्थिति में पहले दो उत्तरदाताओं को, कम से कम, सुनवाई का अधिकार है और एल. आर. एस. द्वारा न्यायाधिकरण असीम रंजन दास (डी) के निर्देशों को शून्य करते हुए उच्च न्यायालय ने इसी पर विचार किया है।

वी. शिबू बोधक और ओआरएस।

दिनांक 19.9.2000 और उसके बाद की कार्यवाही, दिनांक 7.5.2004 की अपील में आदेश के माध्यम से। [पैरा 18] [488-एच; 489-ए-डी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3932

2009 से।

2001 के W.P.L.R.T. सं. 1045 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित 07.05.2004 के निर्णय और आदेश से। एस. के. भट्टाचार्य, एल. के. पाओनम, नीरज बॉबी पाओनम, श्रीमती तोमथिन्गन्बी कोइजाम, हिमांशु गंभीर, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

रउफ रहीम, राजा चटर्जी, पीयूष सचदेव, रुनामोनी भुइयां, चंचल कुमार गांगुली, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजय किशन कौल, जे. 1. एक कृष्ण पद सुपै (के लिए)

लघु 'केपीएस') एक पूर्व मध्यस्थ काली चरण प्रामाणिक के अधीन भूमि का धारक था और उसके कब्जे में था। कहा जाता है कि भूमि मौज़ा के अधिकारों के अभिलेख में के. पी. एस. के नाम पर विधिवत अभिलिखित

जोगतीपोटा, पी. एस. सोनारपुर, पश्चिम बंगाल के मौजा जगतीपोटा के आर. एस. खातियां नंबर 15 हैं। वर्ष 1962 में, के. पी. एस. द्वारा धारण की गई एक एकड़ भूमि दो व्यक्तियों-जितेंद्र लाल पॉल (8.26 एकड़) और गोलाप बाला साहा मंडल (6.63 एकड़) को हस्तांतरित की गई थी। विवाद की उत्पत्ति संबंधित राजस्व अधिकारी द्वारा शुरू की गई स्वतः संज्ञान कार्यवाही है। पश्चिम बंगाल संपदा अधिग्रहण अधिनियम, 1953 की धारा 44 (2ए) (इसके बाद 'अधिग्रहण अधिनियम' संदर्भित)। कार्यवाहियों की प्रकृति को समझने के लिए, अधिग्रहण अधिनियम का एक छोटा सा अवलोकन देना आवश्यक है। अधिग्रहण अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया हैः

" राज्य द्वारा संपदाओं के अधिग्रहण, उसमें मध्यस्थों के अधिकारों और रियासतों के कुछ अधिकारों का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम

रियायतों और कुछ अन्य व्यक्तियों के अधिकारों में शामिल भूमि

जागीरों में "।

2. अधिग्रहण अधिनियम की धारा 2 (i) "मध्यस्थ" को परिभाषित करती है और निम्नानुसार पढ़ती हैः

कृषि किरायेदार और इसमें एक सेवा अवधि-धारक शामिल है और खानों और खनिजों के संबंध में, एक पट्टेदार और एक उप-पट्टेदार शामिल है; "[2018] 3 एस. सी. आर.

3. अधिग्रहण अधिनियम के अध्याय II में "संपदाओं के अधिग्रहण और उसमें मध्यस्थों के अधिकारों" का प्रावधान है। प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैः

" एस. 4. परिसंपत्तियों और उनके अधिकारों को निहित करने की अधिसूचना मध्यस्थ। — (1) राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि अधिसूचना में उल्लिखित तिथि से अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी जिले या जिले के हिस्से में स्थित ऐसी प्रत्येक संपत्ति में सभी संपदाएं और प्रत्येक मध्यस्थ के अधिकार राज्य में निहित होंगे।

... .

..

" एस. 5. अधिसूचना का प्रभाव। — (1) धारा 5 के तहत अधिसूचना के उचित प्रकाशन पर, निहित होने की तारीख को और उससे - XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(ग) (धारा 6 की उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, कोई भी भूमि धारण करने वाला प्रत्येक गैर-कृषि किरायेदार) एक मध्यस्थ के अधीन,

और जब तक अध्याय VI के प्रावधानों को प्रभावी नहीं किया जाता है, तब तक किसी मध्यस्थ के तहत किसी भी भूमि को धारण करने वाली प्रत्येक रियासत सीधे राज्य के तहत, जैसे कि राज्य मध्यस्थ रहा हो, और उसी नियम और शर्तों पर जो निहित होने की तारीख से तुरंत पहले थीः

बशर्ते कि यदि कोई गैर-कृषि किरायेदार पूरी तरह से या आंशिक रूप से और आंशिक रूप से नकद में किराया देता है, तो पूर्वगामी खंड में कुछ भी निहित होने के बावजूद, वह राज्य द्वारा विशेष रूप से सशक्त राजस्व अधिकारी के रूप में ऐसा किराया देगा। सरकार इस संबंध में निर्धारित तरीके से निर्णय ले सकती है।

और धारा 42 के खंड (ii) में निर्धारित सिद्धांत के अनुसारः

बशर्ते कि राजस्व अधिकारी द्वारा पहले परंतुक के तहत किराया निर्धारित करने के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी के पास और ऐसे समय के भीतर अपील कर सकता है जो हो सके - निर्धारित किया गया; "

. ... " एस. 6. - कुछ भूमि को बनाए रखने का मध्यस्थ का अधिकारः - (1) धारा 4 और 5 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक मध्यस्थ, एल. आर. एस. द्वारा असीम रंजन दास (डी) के परंतुक में उल्लिखित मामलों को छोड़कर।

वी. शिबू बोधक और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

उप-धारा (2) लेकिन उस उप-धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, निहित होने की तारीख से प्रभावी रूप से बनाए रखने का हकदार होगा।

((क) आवासों में निहित भूमि; (बी) मध्यस्थ या किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाली इमारतों और संरचनाओं में शामिल या उनसे संबंधित भूमि, जो अनुमति या लाइसेंस द्वारा उसके अधीन किरायेदार नहीं है;

स्पष्टीकरण। - इस खंड के प्रयोजनों के लिए 'किरायेदार' में एक थाक्का किरायेदार शामिल नहीं होगा जैसा कि कलकत्ता थाक्का किरायेदारी में परिभाषित किया गया है।

अधिनियम, 1949 (1949 का डब्ल्यू. बी. अधिनियम II);

(ग) उसके खास के कब्जे में गैर-कृषि भूमि, जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा उसके अधीन धारित भूमि, जो किरायेदार नहीं है, छुट्टी या लाइसेंस द्वारा, पंद्रह एकड़ से अधिक क्षेत्र में नहीं, और खंड (ए) के तहत रखी गई किसी भी भूमि को छोड़कर:

बशर्ते कि खंड (ए) और (सी) के तहत एक मध्यस्थ द्वारा रखी गई भूमि का कुल क्षेत्र बीस एकड़ से अधिक नहीं होगा, जो भी हो सके।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 23 और 24 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित; (घ) उसके अधिकार में कृषि भूमि, जो उसके द्वारा चुनी गई पँचिश एकड़ से अधिक न हो।

बशर्ते कि दार्जिलिंग जिले के ऐसे हिस्सों में

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा पहाड़ी भाग घोषित किए जाने पर, एक मध्यस्थ अपनी सभी कृषि भूमि को अपने कब्जे में रखने का हकदार होगा, या उसके किसी भी हिस्से को जो उसके द्वारा चुना जाए;

(ई) टैंक मत्स्य पालन;

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

(2) एक मध्यस्थ जो उप-धारा (1) के तहत किसी भी भूमि का कब्जा बनाए रखने का हकदार है, उसे ऐसी भूमि [2018] 3 एस. सी. आर. धारण करने वाला माना जाएगा।

किरायेदार के रूप में निहित होने की तारीख से सीधे राज्य के अधीन, विषय ऐसे नियमों और शर्तों के लिए जो निर्धारित किए जाएं और जिनके अधीन हों

ऐसे किराए का भुगतान जो प्रावधानों के तहत निर्धारित किया जाए

इस अधिनियम का और जैसा कि अभिलेख में दर्ज किया गया है, अंत में प्रकाशित किए गए अधिकार

अध्याय 5 के अधीन सिवाय इसके कि भूमि के लिए कोई किराया देय नहीं होगा। खंड (एच) या (आई) में निर्दिष्टः

बशर्ते कि यदि कोई तालाब मत्स्य पालन या कोई भूमि चाय में शामिल हो

उद्यान, बाग, मिल, कारखाना या कार्यशाला तुरंत आयोजित की गई।

पट्टे के तहत निहित होने की तारीख से पहले, ऐसा पट्टा माना जाएगा

राज्य सरकार द्वारा समान शर्तों पर दिया गया है

और ऐसी तारीख से तुरंत पहले की शर्तें इस तरह के अधीन हैं

राज्य सरकार जैसा उचित समझे, उसमें संशोधन

बनाते हैं। ”

(जोर दिया गया)

4. इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधानों का प्रभाव यह है कि एक बार

प्रक्रिया का पालन किया जाता है, मध्यस्थ के अधिकार राज्य में निहित होते हैं, जो सभी बाधाओं से मुक्त होते हैं और अपवाद धारा 6 (1) में दिए गए हैं।

5. संक्षेप में, अधिनियम में भूमि के निहित होने का प्रावधान है

राज्य सरकार के साथ प्रक्रिया के अनुसार मध्यस्थ लेकिन एक

मध्यस्थ राज्य के किरायेदार के रूप में अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से (ई) में उल्लिखित अपवादों के तहत आने वाली भूमि को निहित करने की तारीख से किसी भी भूमि का कब्जा बनाए रखने का हकदार है।

6. जहां तक धारा 44 (2 ए) के तहत शक्ति के आह्वान के रूप में

राजस्व अधिकारी का संबंध है, प्रासंगिक प्रावधानों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है -

इसके अंतर्गतः

" धारा 44. अभिलेख का प्रारूप और अंतिम प्रकाशन - अधिकार। — (1) जब अधिकारों का अभिलेख तैयार या संशोधित किया गया हो।

राजस्व अधिकारी इस प्रकार तैयार किए गए अभिलेख का मसौदा प्रकाशित करेगा।

या निर्धारित तरीके से और निर्धारित अवधि के लिए संशोधित किया गया और की जाने वाली किसी भी आपत्ति को प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा।

उस अवधि के दौरान उसमें किसी प्रविष्टि या उसमें से किसी चूक के लिए

इस तरह के प्रकाशनः

इस उप के तहत की गई आपत्ति के अनुसरण में फिर से खोला जाएगा अनुभाग।

असीम रंजन दास (डी) एलआरएस द्वारा। वी. शिबू बोधक और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

(2) जब ऐसी सभी आपत्तियों पर विचार किया गया हो और उनका निपटारा किया गया हो।

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार

इस ओर से, राजस्व अधिकारी अंत में अभिलेख तैयार करेगा।

और इस तरह के रिकॉर्ड को अंततः निर्धारित में प्रकाशित करने का कारण बनता है इस तरह से और इस तरह के अंतिम तथ्य को बताते हुए एक प्रमाण पत्र बनाएँ

उनके नाम और आधिकारिक पदनाम के तहत भी। XXXX

X

XXX

XXXX

XXXX

XXXX

(2 क) राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त एक अधिकारी

नौ महीने के भीतर आवेदन पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर

[साठ वर्ष], अभिलेख के अंतिम प्रकाशन की तारीख से - अधिकार या पश्चिम बंगाल के लागू होने की तारीख से

संपदा अधिग्रहण (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1957 (पश्चिम)

बेन। ऑर्ड। 1957 का एक्स), जो भी बाद में हो, में एक प्रविष्टि को संशोधित करें

के प्रावधानों के अनुसार अंत में प्रकाशित रिकॉर्ड

उप-धारा (2) इच्छुक व्यक्तियों को अवसर देने के बाद सुना जाना और उसके लिए कारण दर्ज करने के बादः

बशर्ते कि पूर्वगामी अनुच्छेद में कुछ भी नहीं माना जाएगा

धारा 5 ए के तहत, किसी भी प्रविष्टि को संशोधित करते हुएः बशर्ते कि ऐसा कोई भी अधिकारी किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं करेगा

इस उप-धारा के तहत या अपने स्वयं के प्रस्ताव के तहत कदम उठाएगा

उप-धारा (1) के तहत की गई किसी भी आपत्ति पर अधिकारी, पश्चिम बंगाल संपदाओं की शुरुआत से पहले दाखिल किया गया

अधिग्रहण (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1957 इस धारा के प्रयोजन के लिए नियुक्त न्यायाधिकरण, और,

इस धारा में कुछ भी होने के बावजूद, ऐसी कोई अपील

जारी रखें और सुना जाए और निपटाया जाए जैसे कि पश्चिम बंगाल

संपदा अधिग्रहण (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1957

घोषित नहीं किया गया "।

7. राजस्व अधिकारी, इस प्रकार, के तहत शक्ति का प्रयोग करने की मांग की

अधिग्रहण अधिनियम के 44 (2 ए) पर 7.4.1969 पर स्वतः संज्ञान लेते हुए। इसके बाद जितेंद्र लाल पॉल और गोलाप बाला दोनों के किरायेदारी अधिकार छीन लिए गए।

मंडल ने 12.5.1969 दिनांकित आदेश का अवलोकन किया। इस आदेश पर ए में हमला किया गया था

गोलाप बाला साहा मंडल द्वारा 1969 का सिविल नियम No.2915 (W)

. कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने [2018] 3 एस. सी. आर. को खारिज कर दिया।

आदेश दिनांक 12.5.1969 आदेश दिनांक 1.6.1973 के माध्यम से। ऐसा करने का तर्क दो गुना है- हालाँकि राज्य सरकार को किराए के भुगतान पर गोलाप बाला साहा मंडल के पास भूमि थी और उनके नाम पर था वर्ष 1962 में खरीद पर उत्परिवर्तित किया गया था, धारा 44 (2ए) के तहत कार्यवाही उन्हें बिना किसी सूचना के आयोजित की गई थी। दूसरा, राजस्व अधिकारी के पास इस सवाल में जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि क्या अभिलिखित मालिक किसी अन्य व्यक्ति के लिए बेनामीदार है।

8. दूसरी ओर, जितेंद्र लाल पॉल के निधन पर यह भूमि उनकी विधवा कुसुमबाला पॉल के पास थी, जिन्होंने इसे श्री रथिंद्र को बेच दिया।

चंद्र होरे। अपीलार्थी, असीम रंजन दास ने 1987 में श्री रथिंद्र चंद्र होरे से 8.26 एकड़ की उक्त भूमि खरीदी, जो मूल रूप से स्वर्गीय जितेंद्र लाल पॉल के पास थी।

9. ऐसा प्रतीत होता है कि केवल गोलाप बाला साहा मंडल ने दायर किया था

सरकार और लागू किए गए रैयती समझौते के कार्य उत्तरदाता संख्या 1 और 2 के पक्ष में भूमि। पहले दो

इसलिए हमारे समक्ष उत्तरदाता जुलाई, 1980 के पंजीकृत पट्टों के माध्यम से भूमि के पट्टा धारक हैं। इस तरह शीर्षक उत्तरदाता संख्या के पास आया। 1 & 2 , अपीलार्थी को बिक्री से पहले।

10. वर्ष 1990 में, जितेंद्र लाल पॉल के उत्तराधिकारियों, यानी कुसुमबाला पॉल और अन्य लोगों ने एक रिट याचिका दायर की, जो 1990 का सी. ओ. No.8958 (डब्ल्यू) था। इस आधार पर कि भूमि को राज्य सरकार में निहित नहीं माना जा सकता है। उक्त कार्यवाही में, अपीलार्थी असीम रंजन दास

इसमें याचिकाकर्ता संख्या 8 के रूप में भी शामिल किया गया था। उत्तरदाता संख्या 1 और 2 को क्रमशः उत्तरदाता संख्या 10 और 13 के रूप में जोड़ा गया था। दिनांक 17.7.1997 के आदेश के संदर्भ में, रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा 1.6.1973 पर पारित पहले के आदेश पर आधारित करने की अनुमति दी गई थी, जिसके संदर्भ में प्रत्यर्थी द्वारा की गई प्रक्रिया-अधिग्रहण अधिनियम की धारा 44 (2a) के तहत अधिकारियों को अलग कर दिया गया था।

1998 का डब्ल्यू. पी. No.4327 (डब्ल्यू) होने के नाते, हमने एक रिट याचिका दायर की, जिसमें एक प्रार्थना की गई थी श्री रथींद्र चंद्र होरे से खरीदी गई भूमि के संबंध में अभिलेखों में उनका नाम परिवर्तित करें। इस रिट याचिका को एल. आर. एस. द्वारा पश्चिम बंगाल भूमि सुधार और किरायेदारी न्यायाधिकरण अधिनियम, 1997 (इसके बाद 'डब्ल्यू. बी. भूमि सुधार असीम रंजन दास (डी) के रूप में संदर्भित) के तहत गठित न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया था।

वी. शिबू बोधक और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

& किरायेदारी अधिनियम ') और 2000 की हस्तांतरित आवेदन संख्या 401 (एल. आर. टी. टी.) के रूप में पुनः क्रमांकित। पश्चिम बंगाल भूमि सुधार और किरायेदारी अधिनियम की धारा 4 न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित है, धारा 9 उच्च न्यायालय से मामले के रिकॉर्ड के हस्तांतरण से संबंधित है जबकि धारा 11 उच्च न्यायालय की खंड पीठ को अपील करने का प्रावधान करती है।

12. न्यायाधिकरण ने दिनांक 19.9.2000 के आदेश के संदर्भ में खंड भूमि और भूमि सुधार अधिकारी को क्षेत्र में सभी भूमि को बहाल करने का निर्देश दिया। केपीएस का नाम। राज्य सरकार द्वारा इस आदेश को वापस लेने का प्रयास दिनांक 22.3.2001 के आदेश के अनुसार असफल रहा। नतीजतन, खंड भूमि और भूमि सुधार अधिकारी ने रद्द करने को आगे बढ़ा दिया

उप-मंडल अधिकारी ('एस. डी. ओ.') को आवश्यक कदम उठाने का प्रस्ताव

न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में कार्रवाई। एस. डी. ओ. ने पट्टा धारकों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया।

13. शिबू बोधक और तपन मलिक ने क्रमशः उत्तरदाता संख्या 1 और 2 ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया

के रूप में W.P.L.R.T. No.1045/2001, डब्ल्यू. बी. भूमि सुधार और किरायेदारी अधिनियम की धारा 11 के तहत दायर एक अपील है और इसके अनुच्छेद 226 का भी आह्वान किया गया है। भारत का संविधान, अन्य बातों के साथ-साथ एक रिट जारी करने के लिए प्रार्थना कर रहा है

प्रत्यर्थियों को आदेश देते हुए कि वे न्यायाधिकरण द्वारा अपील No.401/2000 में पारित दिनांक 19.9.2000 और 22.3.2001 के आदेश को दरकिनार करें, जिसे उच्च न्यायालय से स्थानांतरित कर दिया गया था, और प्रत्यर्थियों को पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम, 1955 (जिसे इसके बाद 'डब्ल्यू. बी. भूमि सुधार अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत उपयुक्त प्राधिकारी की कार्रवाई को दरकिनार करने का भी निर्देश देते हैं, जिसने पट्टा रद्द करने के लिए दिनांक 17.4.01 का नोटिस जारी किया था। श्री शिबू बोधक और तपन मलिक ने न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें अधिकारियों को सुनवाई का अवसर न मिलने के आधार पर पट्टा धारकों के पट्टा रद्द करने का निर्देश दिया गया था।

14. हम यहाँ देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम को प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था, जो निम्नानुसार हैः

" परिणामस्वरूप भूमि कार्यकाल से संबंधित कानून में सुधार के लिए एक अधिनियम

राज्य में सभी संपदाओं और उनमें कुछ अधिकारों को निहित करना [और भूमि सुधारों से संबंधित कानून को समेकित करना भी]।

डब्ल्यू. बी. भूमि सुधार अधिनियम ने भूमि में अधिकार निहित करने की मांग की रयत (एक व्यक्ति या एक संस्था जो किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि धारण करती है)।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. हमारे समक्ष अपीलार्थी ने इस आधार पर इसका विरोध किया कि चूंकि राज्य सरकार में निहित होने को उच्च न्यायालय द्वारा 1.6.1973 पर अलग कर दिया गया था, हालांकि गोलाप बाला साहा मंडल के कहने पर, राज्य सरकार द्वारा पट्टा का अनुदान शुरू से ही अमान्य था, जिसमें जुलाई, 1980 में वर्तमान पहले दो उत्तरदाताओं के संबंध में भी शामिल था। हम यहाँ यह भी जोड़ सकते हैं कि अपीलार्थी के अधिकार जितेंद्र लाल पॉल से लिए गए हैं, जिसके लिए रिट याचिका केवल वर्ष 1990 में दायर की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यावधि में भूमि प्रत्यर्थी को हस्तांतरित कर दी गई थी Nos.1 & 2. अपीलार्थी द्वारा यह भी तर्क दिया गया था कि पहले दो प्रतिवादी अपील में पक्षकार नहीं बनाए जाने के लिए शिकायत या शिकायत नहीं कर सकते थे क्योंकि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 44 (2 ए) के तहत कार्यवाही का मुद्दा पहले ही हल हो चुका था और अंतिम रूप प्राप्त कर चुका था।

16. प्रत्यर्थी सं. द्वारा दायर की गई उपरोक्त अपील। 1 & 2 हालाँकि, 7.5.2004 दिनांकित विवादित आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी, यह देखते हुए कि

उत्तरदाता सं। 1 & 2 इसमें भूमि के संबंध में पट्टा धारक थे और उन्हें दिए गए पट्टों को रद्द करने का निर्देश देने से पहले न्यायाधिकरण द्वारा उनकी बात नहीं सुनी गई थी। 1980 से उनका कब्जा बना हुआ था और अप्रैल, 2001 में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा नोटिस जारी होने पर ही उन्हें पट्टा रद्द करने के बारे में पता चला। दायर की गई रिट याचिका, जिसे न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया था, ने केवल अपीलार्थी के नाम पर भूमि के उत्परिवर्तन के लिए अनुरोध किया, जिसके लिए प्रतिवादी संख्या द्वारा पट्टा रखा गया था। 1 & 2 और वे दल नहीं थे। यह भी राय दी गई कि न्यायाधिकरण पहले ही एक निष्कर्ष पर पहुँच चुका है

और अपीलार्थी के पक्ष में भूखंडों के परिवर्तन के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी करने से खंड भूमि और सुधार अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सुनवाई का कोई परिणाम नहीं होगा। इस प्रकार, न्यायाधिकरण के दिनांकित 19.9.2000 आदेश के साथ-साथ सभी कार्यवाहियों को भी अलग कर दिया गया था। हालाँकि, विवाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण इसे अलग करना आवश्यक था। न्यायाधिकरण को निर्देश दिया गया था कि वह इसमें पहले दो प्रतिवादियों को अपने हलफनामे दायर करने का मौका दे और उसके बाद अपीलार्थी द्वारा उठाए गए विवाद के गुण-दोष पर एक आदेश पारित करे। 17. अपीलार्थी इस मामले को अपीलीय न्यायाधिकरण को भेजे जाने से व्यथित है। हम यह भी नोट कर सकते हैं कि यह अपील दायर की गई थी

मूल रूप से वर्ष 2004 में और तब से 14 साल बीत चुके हैं।

18. हम वर्तमान में अपीलार्थी के प्रयास पर विश्वास करते हैं।

कार्यवाही एक निष्फल कवायद साबित हुई है क्योंकि अब तक एल. आर. एस. द्वारा मामला असीम रंजन दास (डी) है।

वी. शिबू बोधक और ओआरएस। [संजय किशन कौल, जे।]

रिमांड पर लिए जाने पर पहले दो उत्तरदाताओं को अवसर देने के बाद निर्णय लिया जाता। इस मामले में एक चेकर तथ्यात्मक तथ्य है

इतिहास. इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1969 में अधिग्रहण अधिनियम की धारा 44 (2ए) के तहत शुरू की गई कार्यवाही उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश से शून्य हो गई थी, लेकिन तब ही गोलाप बाला साहा मंडल ने प्रक्रिया शुरू की थी, जबकि जितेंद्र लाल पॉल द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी।

राजस्व अधिकारी की कार्यवाही को 1.6.1973 पर अलग करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि जितेंद्र लाल पॉल की भूमि पर कार्रवाई की गई थी और इस तरह प्रतिवादी संख्या। 1 & 2 जुलाई, 1980 में राज्य अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पट्टे पंजीकृत हैं और अपने कब्जे में होने का दावा करते हैं। अपीलार्थी ने वही भूमि 1987 में खरीदी और संभवतः जितेंद्र लाल पॉल के उत्तराधिकारियों के कहने पर, वर्ष 1990 में रिट याचिका दायर करने के लिए जाग गया। अपीलार्थी और इसमें उत्तरदाताओं को उन कार्यवाहियों में एक पक्ष बनाया गया था। 1.6.1973 दिनांकित आदेश के तर्क पर आधारित, इस याचिका के बाद 17.7.1997 दिनांकित आदेश आया। इसके बाद अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर की, जिसे प्रतिवादी संख्या को आरोपित किए बिना न्यायाधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया। 1 & 2 पक्षकारों के रूप में जिनमें भूमि निहित थी, सही या गलत तरीके से। ऐसी स्थिति में पहले दो प्रत्यर्थियों को, कम से कम, सुनवाई का अधिकार है और उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के दिनांकित 19.9.2000 के निर्देशों और उसके बाद की कार्यवाही को शून्य करते हुए, दिनांकित 7.5.2004 की अपील में आदेश दिया है।

19. इस प्रकार, हमारा विचार है कि अपील में कोई योग्यता नहीं है, जिसे खारिज कर दिया जाता है और पक्षकारों को अपना खर्च खुद वहन करना पड़ता है।

या

चिका खारिज कर दी गई।

निधि जैन